State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

पत्र क्रं./MLE/2021/ 1312 रायपुर दिनांक 24.03.2021

प्रति,

सर्वप्रसारित
छत्तीसगढ़

विषय– राज्य की शालेय शिक्षा में ''बहुभाषा शिक्षण राज्यनीति (MLE State Policy)'' के निर्माण हेतु सुझावों का आमंत्रण।

//000//

छत्तीसगढ़ का भाषायी परिवेश बहुभाषीय है। प्रारंभिक शिक्षा में बच्चे की मातृभाषा या उसकी समझ की भाषा में शिक्षण अपेक्षित है। **राज्य का बहुभाषीय परिवेश एवं नवीन शिक्षा नीति –2020** के परिप्रेक्ष्य में राज्य बहुभाषा शिक्षण नीति अपेक्षित हैं।

परिषद के संयोजन में **''बहुभाषा शिक्षण राज्य नीति (MLE State Policy)''** का निर्माण प्रस्तावित है। तत्संबंध में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अपने अनुभव आधारित **व्यावहारिक सुझावों** से हमें अवगत् कराने का कष्ट करें।

आपके सुझावों हेतु संलग्न बिंदुओं को समाहित करने का कष्ट करें। अपने सुझाव हमें **ई–मेल–mlescert@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

यदि डाक से भेजना चाहें तो पता –

प्रकोष्ठ प्रभारी, बहुभाषा शिक्षण प्रकोष्ठ
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग., रायपुर

कृपया अपने सुझाव 24 अप्रैल 2021 के पूर्व प्रेषित करेंगे।

समन्वय हेतु नोडल अधिकारी **डॉ. बी. रघु, सहा. प्राध्या., एस.सी.ई.आर.टी. से 7587499920** पर संपर्क किया जा सकता है।

संलग्न – विचारणीय बिंदु 1 से 15।

विशेष – कृपया पत्र अधीनस्थ कार्यालयों/व्यक्तियों में प्रसारित करने का कष्ट करेंगे।
अपने स्तर पर बैठक आयोजित कर सामूहिक चर्चा भी किया जा सकता है।

(डी.राहुल वेंकट)
IAS
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर

विचारणीय बिंदु
(बहुभाषा शिक्षण, राज्य नीति)

1. सत्र 2020–21 में कक्षा 1 एवं 2 की हिन्दी पाठ्यपुस्तकों को 16 भाषाओं एवं 04 अंतरराज्यीय भाषाओं में द्विभाषिक तैयार कर विद्यालयों को उपलब्ध कराया गया। इस पर आपका अभिमत/सुझाव।
2. कक्षा 3,4,5, में 06 भाषाओं के पाठों का समावेश किया गया है, इस पर आपका अभिमत/सुझाव।
3. कक्षा 9 एवं 10 में 25 प्रतिशत पाठ राजभाषा छत्तीसगढ़ी के समाहित किये गये हैं, इस पर आपका अभिमत।
4. बहुभाषा शिक्षण की परिधि क्या हो? अर्थात किन–किन कक्षाओं हेतु प्रासंगिक होगा?
5. क्या बहुभाषा शिक्षण के अंतर्गत सभी विषयों के अध्यापन को शामिल किया जाना चाहिए?
6. क्या बहुभाषा केवल **शिक्षण का माध्यम (Medium of Instructions)** होना चाहिए ?
7. **द्विभाषिक प्रविधि** पर आपके विचार? क्या **देवनागिरी लिपी** में अनुवाद कार्य प्रभावी होगा?
8. **पाठ्यक्रम में स्थानीय भाषाओं** का समावेश कैसे हो? एवं इनकी **सीमाएं** क्या होनी चाहिए। (आगामी कक्षाओं में एवं अन्य विषयों के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में)
9. स्थानीय भाषाओं के अध्यापन हेतु मानव संसाधन **(शिक्षक)** व्यवस्था हेतु आपके सुझाव।
10. राज्यनीति में सम्मिलित किये जाने वाली **भाषाओं के चयन का आधार** क्या हो ? और कैसे किया जा सकता है ?
11. बहुभाषा शिक्षण के संदर्भ में **पाठ्यपुस्तकों** में समाहित किये जाने वाली विषयवस्तु पर आपके सुझाव।
12. शालेय शिक्षा में वर्तमान में प्रचलित **"त्रिभाषा फार्मूला"** के साथ बहुभाषा शिक्षण का समन्वय कैसे किया जा सकता है?
13. क्या **"बहुभाषा शिक्षण राज्यनीति"** में राज्य में प्रचलित **अंतरराज्यीय भाषाओं** को भी शामिल किया जाना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? और भाषाओं के चयन का आधार क्या होगा?
14. बहुभाषा शिक्षण हेतु **पाठ्यपुस्तकों, सहायक शिक्षण सामग्री, शिक्षकों की भूमिका, समुदाय** की **भूमिका** पर आपके समग्र सुझाव।
15. **राजभाषा छत्तीसगढ़ी** को शालेय शिक्षा की आरंभिक शिक्षा में किस स्वरूप में समाहित किया जाय।

- **विशेष** : उपरोक्त बिंदु आपके विचारार्थ है, समस्त बिंदुओं पर सुझाव अनिवार्य नहीं होगा। अपनी सुविधानुसार बिंदुओं को समाहित करते हुए, अपने समग्र सुझाव प्रेषित कर सकते हैं।

संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग., रायपुर